मार्केट–मोड योजना हेतु

दिशा–निर्देश

2022–23

मार्केट–मोड़ योजना 2022–23 हेतु दिशा–निर्देश

छत्तीसगढ़ राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा योजनाओं के वृहद् स्तर पर क्रियान्वयन एवं प्रचार–प्रसार तथा गैर पारंपरिक/सौर ऊर्जा चलित संयंत्रों की निजी एवं संस्थागत क्षेत्रों में स्थापना हेतु सक्षम इकाईयों को विकसित कर जनसामान्य को स्थानीय स्तर पर ही सुविधा दिलाने की दृष्टि से यह मार्केट मोड योजना तैयार की गई है। इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित है :–

अ) मार्केट मोड योजना के उद्देश्य :–

1. राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा योजनाओं के वृहद् स्तर पर क्रियान्वयन एवं प्रचार–प्रसार करना।
2. योजना के क्रियान्वयन हेतु कुशल इकाईयों व मानव संसाधन का विकास।
3. शासकीय अनुदान का लाभ निजी एवं संस्थागत क्षेत्रों के हितग्राहियों को दिलाना एवं संयंत्रों की स्थापना एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता नियंत्रण करना।
4. संयंत्रों की स्थापना, रख–रखाव एवं सुधार हेतु स्थानीय स्तर पर सुविधायें उपलब्ध कराना।
5. ऊर्जा एवं पर्यावरण का विकास।

ब) मार्केट–मोड योजना के दिशा–निर्देश :–

1. यह योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होगी एवं राज्य के सभी निवासी इस योजना हेतु पात्र होंगे।
2. यह योजना निजी, सार्वजनिक एवं संस्थागत क्षेत्र हेतु लागू होगी। (औद्योगिक एवं शासकीय संस्थानों/विभागों को छोड़कर)
3. योजना के क्रियान्वयन हेतु सक्षम इकाईयों का पंजीयन सिस्टम इंटीग्रेटर/सौर्य मित्र (छोटे संयंत्रों हेतु) के रूप में क्रेडा द्वारा किया जाएगा एवं इन्हीं के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
4. हितग्राही स्वयं अथवा पंजीकृत सिस्टम इंटीग्रेटर/सौर्य मित्र (छोटे संयंत्रों हेतु) के माध्यम से संयंत्र की स्थापना हेतु अनुदान की स्वीकृति हेतु आवेदन **ऑन लाईन/ ऑफ लाईन** क्रेडा में कर सकते हैं।
5. हितग्राही अपनी इच्छानुसार इन पंजीकृत सिस्टम इंटीग्रेटर/सौर्य मित्र (छोटे संयंत्रों हेतु) परस्पर निर्धारित दरों व भुगतान शर्तों पर इस योजना के अंतर्गत संयंत्रों की स्थापना करा सकते हैं।
6. पंजीकृत सिस्टम इंटीग्रेटर/सौर्य मित्र (छोटे संयंत्रों हेतु) द्वारा स्वंय ही संयंत्रों की मार्केटिंग कर हितग्राहियों का चयन कर संयंत्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं।

7. पंजीकृत सौर मित्र एवं सिस्टम इंटीग्रेटर को निम्नानुसार क्षमता के संयंत्रों की स्थापना की पात्रता होगीः–

क्र.	इकाई विवरण	क्षेणी	पात्रता
1	सौर मित्र	–	01 किलोवॉट क्षमता से कम एस.पी.व्ही. संयंत्रों की स्थापना हेतु पात्र (हाई मास्ट, पंप व जल शुद्धिकरण संयंत्र छोड़कर)
2	सिस्टम इंटीग्रेटर (एस.पी.व्ही.)	ए	अधिकतम 10 किलोवॉट क्षमता के एकल एस.पी.व्ही. संयंत्र हेतु पात्र
		बी	अधिकतम 50 किलोवॉट क्षमता के एकल एस.पी.व्ही.संयंत्र हेतु पात्र
		सी	अधिकतम 100 किलोवॉट क्षमता के एकल एस.पी.व्ही. संयंत्र हेतु पात्र
3	सिस्टम इंटीग्रेटर (सोलर थर्मल)	–	सौर गर्म जल संयंत्र स्थापना हेतु पात्र

8. इस योजना में संयंत्र/परियोजना की लागत हितग्राही एवं पंजीकृत सिस्टम इंटीग्रेटर/सौर्य मित्र (छोटे संयंत्रों हेतु) द्वारा परस्पर समन्वय से निर्धारित की जाएगी। यह निर्धारित दर असामान्य रूप से कम या अधिक होने पर क्रेडा को आवेदन निरस्त करने का अधिकार होगा। (संयंत्रों की अनुमानित दरों का विवरण अनुसूची **'अ'** में दर्शाया गया है)
9. संयंत्र की स्थापना एम.एन.आर.ई. एवं क्रेडा द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जाएगी।
10. संयंत्र स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण यथा सोलर मॉड्यूल, बैटरी, इन्वर्टर, सोलर कलेक्टर, इन्सुलेटेड टैंक, स्ट्रक्चर व कंट्रोल इत्यादि क्रेडा में पंजीकृत वेण्डर/मेक के ही होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में जहां उपकरणों का कोई वेन्डर क्रेडा में पंजीकृत न हो, क्रेडा से लिखित में पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
11. इकाईयों (सिस्टम इंटीग्रेटर/ वेण्डर/ रेस्को/ फाईनेंशियल इंटीग्रेटर) का पंजीयन केवल मार्केट–मोड योजना अंतर्गत निजी क्षेत्र में कार्य करने हेतु किया जाता है। पंजीकृत इकाइयां सीधे किसी भी शासकीय विभागों/संस्थाओं (जैसे ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, वन प्रबंधन समिति इत्यादि) में शासकीय राशि से कार्य करने हेतु **पात्र नही होंगी।** पंजीकृत इकाईयों को क्रेडा की निविदा में भाग लेने एवं अर्ह पाये जाने पर अनुबंध निष्पादन उपरांत ही शासकीय संस्थाओं में कार्य करने का अवसर क्रेडा द्वारा दिया जायेगा। यदि किसी पंजीकृत इकाई द्वारा सीधे तौर पर शासकीय संस्थाओं को सौर संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव दिये जाने अथवा वहां कार्य किये जाने की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो क्रेडा द्वारा संबंधित पंजीकृत इकाई का पंजीयन निरस्त करने एवं उसके विरूद्ध संपूर्ण कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
12. मार्केट–मोड योजना अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में निजी हितग्राही को एक ही प्रकार के एक से अधिक संयंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। क्षमता उन्नयन एवं संयंत्र विशेष की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे प्रकरणों में गुण–दोष के आधार पर इस शर्त को शिथिल करने के सर्वाधिकार क्रेडा के पास सुरक्षित होंगे।

13. इस योजना में स्थापित संयंत्रों के 05 वर्षों तक रख–रखाव का कार्य का प्रावधान है। 05 वर्ष उपरांत संयंत्र के रखरखाव का कार्य हितग्राही एवं इकाई के आपसी सामंजस्य से किया जायेगा।

स) मार्केट मोड योजनांतर्गत संयंत्रों की स्थापना हेतु आवेदन जमा करने की प्रक्रिया :–

1. हितग्राही अपने निवास/कार्यस्थल में अपनी आवश्यकता अनुसार संयंत्र की स्थापना हेतु क्रेडा की पंजीकृत इकाई (सिस्टम इंटीग्रेटर/सौर्य मित्र) का चयन करेगा एवं दरों के परस्पर निर्धारण उपरांत अनुदान की मांग हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑन लाईन/ऑफ लाईन स्वयं अथवा इकाई के माध्यम से क्रेडा प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
2. आवेदन के साथ स्थल के पते के दस्तावेजी प्रमाण एवं हितग्राही के परिचय पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा।
3. प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व चयनित इकाई को हितग्राही के निवास/कार्यस्थल में संयंत्र की स्थापना हेतु तकनीकी एवं सुरक्षा की दृष्टि से सर्वेक्षण करना आवश्यक होगा। आवेदन के साथ हितग्राही एवं इकाई के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ साईट के ले–आउट का नक्शा भी संलग्न करना होगा।
4. आवेदन करते समय हितग्राही एवं पंजीकृत सिस्टम इंटीग्रेटर को संयंत्र मेक क्षमता एवं लोड संबंधी संपूर्ण जानकारी दिया जाना अनिवार्य होगा।
5. 05 कि.वॉ. एवं अधिक क्षमता के एस.पी.व्ही. संयंत्र एवं 1000 लीटर एवं अधिक क्षमता के सौर गर्म जल संयंत्रों हेतु आवेदन के साथ इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट मय क्रेडा के संबंधित जिला प्रभारी द्वारा आवेदन के साथ संयंत्र की स्थापना हेतु साईट क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
6. हितग्राही को एस.पी.व्ही. संयंत्रों हेतु आवेदन के साथ संयंत्र क्षमता अनुसार रूपये **2.00 प्रति वॉट** एवं सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों हेतु रूपये **2.00 प्रति लीटर** की दर से प्रोसेसिंग शुल्क जमा करना होगा। लागू दर अनुसार **जी.एस.टी. अतिरिक्त** देय होगा। प्रोसेसिंग शुल्क क्रेडा, रायपुर के नामे डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में ही जमा करना होगा। नगद अथवा चेक किसी भी स्थिति में मान्य नही होगा। (क्रेडा में कार्यरत् नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों के यहां संयंत्र स्थापना पर प्रोसेसिंग शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी)
7. हितग्राहीवार आवेदन के साथ प्रोसेसिंग शुल्क पृथक रूप से जमा कराना होगा। इकाई द्वारा कई हितग्राहियों हेतु कई संयंत्रों हेतु एक साथ जमा कराया जाने वाला प्रोसेसिंग शुल्क मान्य नहीं किया जाएगा।
8. एक हितग्राही के नाम से जमा प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी स्थिति में किसी अन्य हितग्राही के नाम परिवर्तनीय/समायोजित नहीं होगा।
9. अनुदान की स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ संयंत्र की क्षमता अनुसार प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराना होगा। क्षमता बढ़ने की स्थिति में नये सिरे से आवेदन एवं अतिरिक्त प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराना होगा परन्तु क्षमता कम होने की स्थिति में जमा कराया गया अतिरिक्त प्रोसेसिंग शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
10. आवेदन क्रेडा द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में जमा करना होगा।
11. अपूर्ण आवेदन मान्य नही किया जायेगा।

12. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ऑन लाईन अथवा क्रेडा प्रधान कार्यालय के आवक–जावक कक्ष में ही जमा करना होगा। कार्यालय के किसी भी अन्य व्यक्ति को आवेदन की पावती जारी करने के अधिकार नहीं रहेंगे। इस शर्त का उल्लंघन होने पर आवेदन की सुरक्षा अथवा उसकी प्रोसेसिंग हेतु क्रेडा जवाबदेह नही होगा।
13. अपूर्ण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आवेदनकर्ता हितग्राही एवं इकाई को इसकी सूचना क्रेडा द्वारा दी जाएगी एवं इस सूचना जारी होने के अधिकतम 15 दिवस के भीतर हितग्राही अथवा इकाई को आवेदन पूर्ण कर सही रूप में समस्त दस्तावेजों के साथ प्रधान कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा उक्त आवेदन को निरस्त करते हुए प्रोसेसिंग शुल्क राजसात् कर लिया जाएगा।
14. अनुदान हेतु प्रस्तुत आवेदन क्रेडा में प्रोसेस होने के पश्चात् यदि हितग्राही की ओर से निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रोसेसिंग शुल्क राजसात् किया जाएगा।
15. बजट की अनुपलब्धता के कारण क्रेडा में निरस्त होने वाले आवेदनों पर लिया गया प्रोसेसिंग शुल्क संबंधित हितग्राही अथवा हितग्राही की लिखित अनुशंसा पर संबंधित इकाई को वापस किया जा सकेगा।
16. किसी भी स्थिति में किसी भी आवेदन को बिना कारण बताएं पूर्णतः या आंशिक रूप से निरस्त या लम्बित रखने के सर्वाधिकार क्रेडा के पास सुरक्षित होंगे।

द) <u>अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया</u> :–

1. क्रेडा प्रधान कार्यालय में पूर्ण रूप से भरा हुआ सभी दस्तावेजों सहित सही आवेदन प्राप्त होने पर सामान्यतः 15 कार्य दिवसों के अंदर बजट की उपलब्धता के अनुसार प्रचलित नीति के तहत् अनुदान की स्वीकृति क्रेडा द्वारा जारी की जाएगी।
2. अनुदान (राज्य एवं केन्द्र) की स्वीकृति प्रचलित नीति अनुसार एवं बजट उपलब्धता पर निर्भर होगी (राज्य अनुदान की दरें अनुसूची **'ब'** में दर्शाई गई हैं)।
3. औद्योगिक इकाईयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी।
4. घरेलू उपयोग हेतु अधिकतम 10 कि.वॉ. क्षमता के सोलर पावर प्लांट हेतु अनुदान की पात्रता होगी।
5. अनुदान की स्वीकृति सिर्फ हितग्राही के नाम से जारी की जाएगी एवं इसकी प्रति संबंधित इकाई को पृष्ठांकित की जाएगी।
6. अनुदान की स्वीकृति जारी होने की तिथि के 30–90 दिवस के भीतर (जो भी स्वीकृति पत्र में उल्लेखित हो) संयंत्र की स्थापना की जानी होगी। इसके उपरांत उचित कारण होने पर ही समयावधि में निःशर्त अथवा पेनाल्टी सहित सशर्त वृद्धि सक्षम अधिकारी के अनुमोदन अनुसार दी जा सकेगी।
7. बिना पर्याप्त एवं उचित कारण के संयंत्र स्थापना में विलंब होने पर 01 प्रतिशत प्रति माह की दर से पेनाल्टी अधिरोपित की जाएगी। किसी भी स्थिति में संयंत्र स्थापना हेतु अधिकतम अवधि (बढ़ोतरी के साथ) 180 दिवसों से ज्यादा नही होगी, अन्यथा स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
8. कार्य स्थल स्थापना हेतु क्लियर न होना, सामग्री के प्रदाय में विलंब एवं त्यौहार इत्यादि कारणों से होने वाले विलंब के प्रकरण निःशर्त समयावृद्धि हेतु आधार नहीं होंगे।

ई) संयंत्र की स्थापना एवं अनुदान विमुक्ति हेतु दस्तावेज जमा कराने की प्रक्रिया :–

1. संयंत्र की स्थापना क्रेडा में पंजीकृत इकाईयों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
2. पंजीकृत इकाईयों को स्थापना का कार्य कुशल एवं लाइसेंसधारी तकनीशियनों के माध्यम से ही कराना होगा, अन्यथा किसी भी दुर्घटना की स्थिति में संबंधित इकाईयां उत्तरदायी होंगी।
3. संयंत्र की स्थापना आवश्यकतानुसार छायारहित स्थान पर करानी होगी, जहां से विद्युत/जल प्रवाह में Loss न्यूनतम हो।
4. संयंत्र में बैटरी एवं कंट्रोल की स्थापना हेतु स्थल का चयन तकनीकी एवं सुरक्षा की दृष्टि से उचित प्रकार से करना होगा।
5. संयंत्र की स्थापना एम.एन.आर.ई. एवं क्रेडा के निर्धारित मापदंडों पर ही की जानी आवश्यक होगी।
6. जिन उपकरणों में एम.एन.आर.ई. के मापदंडों के संबंध में स्पष्टता न हो वहां क्रेडा द्वारा निर्धारित मापदंड लागू होंगे।
7. संयंत्र की स्थापना हेतु उपकरण यथा सोलर मॉडयूल, बैटरी, इन्वर्टर, कंट्रोल, स्ट्रक्चर, सोलर कलेक्टर, टंकी इत्यादि क्रेडा में पंजीकृत वेन्डर एवं मेक के ही होने चाहिए। इसके अभाव में अनुदान की विमुक्ति संभव नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में जहां किसी उपकरण विशेष का कोई वेन्डर/मेक क्रेडा में पंजीकृत न हो, क्रेडा से पूर्वानुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
8. संयंत्र की स्थापना हेतु अनुदान के आवेदन में एम.एन.आर.ई. एवं क्रेडा के निर्धारित मापदंडों के अनुसार उल्लेखित मेक एवं मापदंडों के उपकरण ही संयंत्र में स्थापित किये जाने आवश्यक होंगे। आवेदन में उल्लेखित उपकरणों के मेक में परिवर्तन बिना क्रेडा की अनुमति से नहीं किया जा सकेगा।
9. इकाईयों द्वारा सोलर मॉडयूल पर 10 वर्ष एवं अन्य उपकरणों पर न्यूनतम 05 वर्ष की वारंटी देनी होगी।
10. संयंत्र की स्थापना उपरांत अनुदान की विमुक्ति हेतु आवेदन एवं संयुक्त कमीशनिंग प्रमाण पत्र मय आवश्यक दस्तावेज (विवरण अनुसूची **'स'** में दर्शाये अनुसार) निर्धारित प्रारूप में क्रेडा के संबंधित जिला कार्यालय में जमा कराने होंगे।

    (I) प्रत्येक जे.सी.सी. में संयंत्र के न्यूनतम 05 फोटोग्राफ्स लगाने अनिवार्य होंगे।

    (II) इनमें से 01 फोटोग्राफ्स संयंत्र स्थापना से पूर्व कार्य स्थल का (विहंगम दृश्य/Bird Eye View/Wide Angle View में) होगा। इस फोटोग्राफ में कार्य स्थल के चिन्हांकन हेतु Referance Point/Mile Stone भी स्पष्ट तौर से दिखाई देना चाहिए।

    (III) एक फोटोग्राफ्स हितग्राही Close Up में होगा, जिसमें संयंत्र के साथ अपनी Name Plate एवं परिचय पत्र यथा आधार कार्ड के साथ होगा।

    (IV) एक फोटोग्राफ विहंगम दृश्य/Bird Eye View/Wide Angle View में स्थापित संयंत्र के साथ हितग्राही का होगा।

    (V) अन्य 02 फोटोग्राफ्स संयंत्र के विभिन्न Components के होंगे।

    (VI) इस सभी फोटोग्राफ्स में Geo Tagging अनिवार्य होगी, जिसमें स्थल का अक्षांश एवं देशांतर (Latitude and Longitude) का अंकन होना अनिवार्य होगा।

11. 01 कि.वॉ. एवं अधिक क्षमता के संयंत्रों हेतु अनुदान विमुक्ति के दस्तावेजों के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षित व्यय का विवरण (Audited Statement of Expenditure/S.O.E.) जमा कराना आवश्यक होगा।
12. अनुदान की विमुक्ति हेतु आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज क्रेडा के संबंधित जिला कार्यालय में स्थापना के उपरांत 30 दिनों के भीतर जमा कराने आवश्यक होंगे। निर्धारित अवधि में अनुदान विमुक्ति के आवेदन मय दस्तावेज जमा न होने की स्थिति में इन्हें अमान्य किया जा सकेगा।
13. जिला प्रभारी द्वारा संयंत्र की निर्धारित मापदंडों के अनुसार स्थापना की पुष्टि उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन उचित माध्यम से क्रेडा प्रधान कार्यालय में अनुदान विमुक्ति हेतु अग्रेषित किया जाएगा।
14. प्रधान कार्यालय में अनुदान विमुक्ति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत उचित पाये जाने पर सामान्यतः 15 कार्य दिवसों में अनुदान की विमुक्ति की जाएगी।
15. अनुदान की विमुक्ति हितग्राही को अथवा उसकी लिखित सहमति पर संबंधित इकाई को की जा सकेगी।
16. किसी भी स्थिति में संयंत्र की स्थापना पूर्व अनुदान का अग्रिम अथवा आंशिक भुगतान नहीं किया जाएगा।
17. केन्द्र एवं राज्य शासन की अनुदान नीति में परिवर्तन होने या आवश्यकतानुसार क्रेडा द्वारा अनुदान नीति में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जो कि सर्व संबंधितों पर लागू होगा।
18. अनुदान नीति में परिवर्तन होने की स्थिति में अनुदान विमुक्ति के संबंध में निर्णय/निर्धारण के अधिकार क्रेडा के पास सुरक्षित होंगे।
19. केंद्रीय अनुदान की विमुक्ति एम.एन.आर.ई. से फॉयनल सेटलमेंट के अनुसार एवं केन्द्रीय अनुदान के आबंटन के उपरांत ही होगी एवं किसी भी संयंत्र पर अनुदान की कटौती अथवा उसे अमान्य किये जाने की स्थिति में संबंधित हितग्राही से उसकी वसूली की जा सकेगी।

फ) <u>वारंटी एवं रख–रखाव</u> :–

1. संयंत्र स्थापना उपरांत इकाई को स्थापित संयंत्र का 05 वर्ष तक रख–रखाव किया जाना होगा ताकि संयंत्र का क्षमतानुसार संचालन निर्बाध रूप से हो सके। (संयंत्र की सुरक्षा व सामान्य संचालन व संधारण का दायित्व हितग्राही का होगा एवं सुरक्षा व सामान्य संचालन व संधारण में लापरवाही/दुरूपयोग की स्थिति में इकाई जिम्मेवार नहीं होगी।)
2. इकाईयों को स्वीकृत अनुदान के विरूद्ध स्थापित संयंत्रों के लिए एस.पी.व्ही. मॉडयूल हेतु 10 वर्ष तथा अन्य सभी उपकरणों व कार्यों हेतु 05 वर्षों की निःशर्त ऑन साइट वारंटी देनी होगी।
3. संयंत्रों पर प्राथमिक वारंटी उसी इकाई की होगी जिसके लिए संयंत्र स्थापना हेतु अनुदान की स्वीकृति जारी की गई है। अतः उनसे अपेक्षा है कि वे निर्धारित गुणवत्ता एवं क्रेडा द्वारा निर्धारित वारंटी के अनुसार ही सामग्री क्रेडा के अनुमोदित वेन्डर से खरीदें। सिर्फ विशेष प्रकरणों में जहां संयंत्र किसी उपकरण में निर्माण की खराबी के कारण अकार्यशील हुआ है, संबंधित इकाई द्वारा निर्माता/प्रदायकर्ता द्वारा निर्धारित

अवधि हेतु प्रदत्त वारंटी कार्ड के साथ प्रस्तुत करने पर प्रकरण की पुष्टि उपरांत क्रेडा द्वारा निर्माणकर्ता/प्रदायकर्ता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

4. इकाईयों द्वारा संयंत्र में स्थापित उपकरणों में खराबी पर उन्हें उक्त खराबी 07 दिवस एवं विशेष प्रकरणों में अधिकतम 15 दिवसों में ठीक करनी होगी। अन्यथा क्रेडा उनके व्यय पर संयंत्र में सुधार/उपकरणों में बदलाव हेतु स्वतंत्र होगा एवं इस प्रकार की शिकायत लगातार प्राप्त होने एवं इकाई की लापरवाही की पुष्टि होने पर क्रेडा द्वारा इकाई के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उनका पंजीयन निरस्त एवं उन्हें Black List/Debar किया जा सकेगा, एवं उनकी ई.एम.डी. की राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. इकाईयों को संयंत्रों के रख–रखाव हेतु पर्याप्त संख्या में स्पेयर रखना होगा, ताकि ऐसे उपकरण जिनका अविलम्ब सुधार संभव न हो, के खराब होने पर उन्हें बदलकर संयंत्र को शीघ्रातिशीघ्र कार्यशील किया जा सके।
6. संयंत्र स्थापना उपरांत वापस 05 वर्ष उपरांत संयंत्र रखरखाव का कार्य हितग्राही एवं इकाई के आपसी सामंजस्य से किया जायेगा।
7. संयंत्र के रख–रखाव के संबंध में वाद–विवाद होने पर सामान्यतः क्रेडा की कोई जबावदारी नही होगी। क्रेडा का उत्तरदायित्व केवल संयंत्र स्थापना उपरांत स्वीकृति एवं पात्रता अनुसार अनुदान विमुक्त करना है। परन्तु विशेष प्रकरणों में क्रेडा द्वारा संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जा सकेगी, जोकि दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगी।
8. किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा का आदेश अंतिम एवं सर्वसंबंधितों पर बंधनकारी होगा।

ग) <u>हितग्राही का दायित्व</u> :–

1. आवेदन के पूर्व संयंत्र एवं इस योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करना एवं संतुष्टि उपरांत संयंत्र व उसकी क्षमता तथा स्थापनाकर्ता इकाई का चयन करना।
2. चयनित इकाई के साथ संयंत्र के उपकरणों का चयन, किये जाने वाले कार्यों तथा स्थापना, उपयोग व सीमाएं तथा रख–रखाव की परस्पर जिम्मेवारियों को समझकर परस्पर सहमति से दरों व स्कोप ऑफ वर्क का निर्धारण करना।
3. आवेदन के समय संबंधित इकाई को आवश्यकतानुसार दस्तावेज उपलब्ध कराना।
4. संयंत्र पर अनुदान स्वीकृति हेतु आवश्यक प्रोसेसिंग फीस उपलब्ध कराना।
5. संयंत्र स्थापना हेतु अविवादित छायारहित स्थल एवं आवश्यकतानुसार कंट्रोल, बैटरी, इन्वर्टर के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त स्थल उपलब्ध कराना।
6. संयंत्र स्थापना के दौरान संबंधित इकाई को आवश्यक सहयोग करना एवं संयंत्र की स्थापना व रख–रखाव के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करना।
7. अनुदान उपरांत शेष हितग्राही अंश का भुगतान सिस्टम इंटीग्रेटर को करना।
8. संयंत्र की सुरक्षा एवं सामान्य संचालन/संधारण यथा माड्यूल की सफाई, बैटरी में नियमित डिस्टिल्ड वॉटर डालने की एवं अन्य प्रकार के रख–रखाव की जवाबदारी हितग्राही की होगी।
9. संयंत्र अथवा उसके इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन के अलावा अन्यत्र नहीं किया जावेगा।
10. यदि सौर संयंत्र की सामग्री का दुरूपयोग किया जाता है या हितग्राही की लापरवाही से संयंत्र को कोई क्षति होती है, तो नियमानुसार राजस्व बकाया की भांति अनुदान वसूली का अधिकार क्रेडा को होगा।

11. सौर संयंत्र का विस्थापन बिना क्रेडा के लिखित अनुमति से नहीं किया जावेगा। यदि बिना अनुमति के विस्थापित किया जाता है तो नियमानुसार राजस्व बकाया की भांति अनुदान वसूली का अधिकार क्रेडा को होगा।
12. क्रेडा द्वारा निर्धारित समस्त दिशा–निर्देर्शो का पालन आवश्यक रूप से करना होगा।
13. किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्रेडा का निर्णय अंतिम होगा।
14. उपरोक्त दायित्वों के परिपालन में किसी भी प्रकार की विसंगति की पुष्टि होने पर क्रेडा को संबंधित हितग्राही के विरूद्ध समुचित कार्यवाही का पूरा अधिकार होगा, जोकि हितग्राही पर बंधनकारी होगा।

ह) <u>इकाई (सिस्टम इंटीग्रेटर/सौर्य मित्र) का दायित्व</u> :–

1. मार्केट मोड योजना में पंजीकृत इकाइयां (सिस्टम इंटीग्रेटर/सौर्य मित्र) ही इस योजनांतर्गत संयंत्रों की स्थापना हेतु पात्र होंगी।
2. इकाई को क्रेडा के सभी दिशा–निर्देशों का ससमय पालन करना होगा।
3. इकाई (सिस्टम इंटीग्रेटर/सौर्य मित्र) मार्केट–मोड योजना अंतर्गत सिर्फ उन्हीं क्षमता तक के संयंत्रों की स्थापना हेतु पात्र होगी, जिस क्षमता तक के संयंत्र हेतु संबंधित वर्ग में उनका पंजीयन किया गया है।
4. इस योजनांतर्गत इकाईयों के स्कोप ऑफ वर्क में संयंत्र की मार्केटिंग, हितग्राही का चयन, कार्य स्थल का तकनीकी सर्वेक्षण कर प्रस्ताव तैयार करना, डी.पी.आर. इत्यादि तैयार करना, निर्धारित मापदंडों पर संयंत्र की स्थापना, कमीशनिंग एवं 05 वर्षीय रखरखाव एवं वारंटी संबंधी सभी कार्य शामिल होंगे।
5. संयंत्र की स्थापना हेतु तकनीकी सर्वेक्षण कर हितग्राही को संयंत्र के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना एवं सर्वेक्षण के दौरान इकाई द्वारा हितग्राही को संयंत्र के संबंध में पूरी तकनीकी/वित्तीय एवं सामान्य जानकारी से अवगत कराना।
6. कार्य स्थल का सर्वेक्षण कर हितग्राही की परस्पर सहमति से संयंत्र की क्षमता का निर्धारण करना एवं तदनुसार निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क संबंधित हितग्राही से प्राप्त कर आवेदन क्रेडा, प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत करना।
7. इकाई को प्रस्तावित संयंत्रों हेतु हितग्राहियों से संयंत्रवार प्रोसेसिंग शुल्क क्रेडा में पृथक–पृथक डी.डी. के रूप में जमा कराना। नगद प्रोसेसिंग शुल्क स्वीकार नही किया जाएगा।
8. सिस्टम इंटीग्रेटर सीधे किसी भी शासकीय विभागों/संस्थाओं (जैसे ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, वन प्रबंधन समिति इत्यादि) में कार्य करने हेतु **पात्र नही होंगे।** यदि किसी पंजीकृत इकाई द्वारा सीधे तौर पर शासकीय संस्थाओं को सौर संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव दिये जाने अथवा सीधे शासकीय बजट के कार्य किसी भी विभाग/संस्थान के लिये करने की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो क्रेडा द्वारा संबंधित पंजीकृत इकाई का पंजीयन निरस्त करने का एवं उसके विरूद्ध समुचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
9. संयंत्र स्थापना हेतु अनुदान उपरांत शेष राशि हितग्राही से प्राप्त कर रसीद अनुदान विमुक्ति हेतु प्रस्तुत दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करना होगा।

10. संयंत्र निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने का दायित्व इकाई का होगा। इसके उपरांत उचित कारण होने पर ही समयावधि में वृद्धि सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निःशर्त/सशर्त दी जा सकेगी।
11. बिना पर्याप्त एवं उचित कारण के संयंत्र स्थापना में विलंब होने पर 01 प्रतिशत प्रति माह की दर से पेनाल्टी अधिरोपित की जाएगी। किसी भी स्थिति में संयंत्र स्थापना हेतु अधिकतम अवधि (बढ़ोतरी के साथ) 180 दिवसों से ज्यादा नही होगी, अन्यथा स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
12. संयंत्र स्थापना हेतु सोलर मॉड्यूल, बैटरी, इन्वर्टर इत्यादि उपकरण क्रेडा में पंजीकृत वेण्डर मेक के ही होना चाहिए। इसके अभाव में संयंत्र की स्थापना निर्धारित मापदण्ड अनुसार न मानते हुए स्वीकृत अनुदान निरस्त कर दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में जहां उपकरणों का कोई वेन्डर क्रेडा में पंजीकृत न हो, क्रेडा से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
13. संयंत्र के उपकरण (सोलर मॉड्यूल, बैटरी, इन्वर्टर, ट्यूब, पाईप, टैंक, सोलर कलेक्टर इत्यादि) में खराबी आने पर निर्माणकर्ता इकाई द्वारा वारंटी स्वीकार नही करने की स्थिति में समस्त जवाबदारी स्थापनाकर्ता इकाई की होगी।
14. इकाई को सौर संयंत्र हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में स्पेयर पार्टस एवं तकनीशियनों का अमला रखना अनिवार्य होगा।
15. एम.एन.आर.ई. एवं क्रेडा के मापदण्ड/दिशा–निर्देश/नियमानुसार संयंत्र स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।
16. संयंत्र स्थापना के दौरान इकाई की गलती से हितग्राही के यहां यदि कोई क्षति होती है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित इकाई का होगा। ऐसी स्थिति में इकाई को हितग्राही के यहां हुई क्षति के सुधार में होने वाले व्यय को वहन करना होगा।
17. इकाई को कार्य स्थल पर अपने कर्मियों एवं स्थापनाकर्ताओं/वेन्डरों के सभी कार्यकलापों का दायित्व वहन करना होगा एवं यदि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अवैधानिक कृत्य किया जाता है तो इसकी संयुक्त जिम्मेवारी इकाई की ही होगी।
18. संयंत्र के संबंध में अनुदान की स्वीकृति एवं भुगतान के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सत्यता एवं उन पर किये गये हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता का उत्तरदायित्व इकाई का होगा।
19. इकाई के स्कोप ऑफ वर्क के अंतर्गत समस्त कार्यों एवं इस दौरान स्वयं व कार्यकर्ताओं के कार्यकलापों, प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की विसंगति की पुष्टि होने पर क्रेडा को उसके विरूद्ध समुचित कार्यवाही का पूरा अधिकार होगा, जोकि इकाई पर बंधनकारी होगा।

अनुसूची–''अ''

मार्केट मोड योजनान्तर्गत सौर संयंत्रों के अनुमानित दरें

क्र.	क्षमता (कि.वॉट)	मानक दर (लाख में)	अनुदान की राशि (लाख में)	हितग्राही अंश (लाख में)
1	1 (With ≤7.2 VAh/W battery bank)	1.2	0.4	0.8
	1 (With ≤3.6<7.2 VAh/W battery bank)	0.95	0.24	0.71
2	2 (With ≤7.2 VAh/W battery bank)	2.4	0.8	1.6
	2 (With ≤3.6<7.2 VAh/W battery bank)	1.9	0.48	1.42
3	3 (With ≤7.2 VAh/Wbattery bank)	3.6	1.2	2.4
	3 (With ≤3.6<7.2 VAh/W battery bank)	2.85	0.72	2.13
4	4 (With ≤7.2 VAh/W battery bank)	4.8	1.6	3.2
	4 (With ≤3.6<7.2 VAh/W battery bank)	3.8	0.96	2.84
5	5 (With ≤7.2 VAh/W battery bank)	6	2	4
	5 (With ≤3.6<7.2 VAh/W battery bank)	4.75	1.2	3.55
6	6 (With ≤7.2 VAh/W battery bank)	7.2	2.4	4.8
	6 (With ≤3.6<7.2 VAh/W battery bank)	5.7	1.44	4.26
7	8 (With ≤7.2 VAh/W battery bank)	9.6	3.2	6.4
	8 (With ≤3.6<7.2 VAh/W battery bank)	7.6	1.92	5.68
8	10 (With ≤7.2 VAh/W battery bank)	12	4	8
	10 (With ≤3.6<7.2 VAh/W battery bank)	9.5	2.4	7.1
9	15 (With ≤7.2 VAh/W battery bank)	16	3.75	12.25
	15 (With ≤3.6<7.2 VAh/W battery bank)	14.25	3.6	10.65
10	20 (With ≤7.2 VAh/W battery bank)	21	5	16
	20 (With ≤3.6<7.2 VAh/W battery bank)	19	4.8	14.2
11	25 (With ≤7.2 VAh/W battery bank)	26.25	6.25	20
	25 (With ≤3.6<7.2 VAh/W battery bank)	23.75	6	17.75
12	30 (With ≤7.2 VAh/W battery bank)	31.5	7.5	24
	30 (With ≤3.6<7.2 VAh/W battery bank)	28.5	---	28.5
13	40 (With ≤7.2 VAh/W battery bank)	42	10	32
	40 (With ≤3.6<7.2 VAh/W battery bank)	38	---	38
14	50 (With ≤7.2 VAh/W battery bank)	52.5	12.5	40
	50 (With ≤3.6<7.2 VAh/W battery bank)	47.5	---	47.5
15	100 (With ≤7.2 VAh/W battery bank)	102	15	87
	100 (With ≤3.6<7.2 VAh/W battery bank)	90	---	90

मार्केट मोड योजनान्तर्गत सौर संयंत्रों के विनिर्देश

क्र.	क्षमता (कि. वॉट)	न्यूनतम माड्यूल क्षमता	इन्वर्टर क्षमता	बैटरी क्षमता (7.2 व्ही.एच./वॉट)	अर्थिंग संख्या	लाईटनिंग अरेस्टर
1	1	1000 watt	1 KVA	24 V/300 Ah	1	---
2	2	2000 watt	2 KVA	48 V/300 Ah	2	---
3	3	3000 watt	3 KVA	48 V/450 Ah	2	---
4	4	4000 watt	4 KVA	96 V/300 Ah	2	1
5	5	5000 watt	5 KVA	96 V/375 Ah	2	1
6	6	6000 watt	6 KVA	96 V/450 Ah	3	1
7	8	8000 watt	8 KVA	96 V/600 Ah	3	1
8	10	10000 watt	10 KVA	120 V/600 Ah	3	1
9	15	15000 watt	15 KVA	120 V/900 Ah	4	1
10	20	20000 watt	20 KVA	240 V/600 Ah	4	1
11	25	25000 watt	25 KVA	240 V/750 Ah	4	1
12	30	30000 watt	30 KVA	240 V/900 Ah	4	1
13	40	40000 watt	40 KVA	240 V/1200 Ah	4	1
14	50	50000 watt	50 KVA	240 V/1500 Ah	4	2
15	100	100000 watt	100 KVA	240 V/3000 Ah	4	2